अभ्युक्ति

टी०ए० मिस केस सं0 300/2018-19

आदेश

दिनांक	
25/03/19	अभिलेख उपस्थापित।आवेदक **मुंगडू बानरा**, पिता–बोंज बानरा ,ग्राम–**सिंहपोखरिया**, थाना– **मुफ्फसिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा–**सिंहपोखरिया**, थाना नं०– 589, के अन्दर खाता नं०– 154 ,प्लॉट नं०– 635, रकवा– 0. 07½ एकड़ भूमि क्रेता **दुल्बु कुदादा**, पिता– मंगु कुदादा ,ग्राम– बारकुन्डिया, थाना–**मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।
	अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदक के दादा के नाम से खतियान में दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।
	अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–105 दिनांक– 6.2.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता, **दुल्बु कुदादा**, पिता– मंगु कुदादा ,ग्राम– बारकुन्डिया थाना– **मुफ्फसिल** के पास 2,90,000.00/– (दो लाख नब्बे हजार) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **मुफ्फसिल** थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।
	उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति पर्याप्त है।
	अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **मुंगडू बानरा**, पिता–बोंज बानरा ,ग्राम–**सिंहपोखरिया** थाना–**मुफ्फसिल**, क्रेता **दुल्बु कुदादा**, पिता– मंगु कुदादा ,ग्राम– बारकुन्डिया थाना–**मुफ्फसिल** के पास जमीन को कुल 2,90,000.00/– (दो लाख नब्बे हजार) में मौजा–, **सिंहपोखरिया**, थाना नं०– 589, के अन्दर खाता नं०– 154 ,प्लॉट नं०– 635 ,रकवा– 0. 07½ एकड़ .जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।
	लेखापित।
	(हस्ताक्षर) 25/3 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।
	(हस्ताक्षर) 25/3/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा

Scanned with CamScanner